रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2101] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936
No. 2101] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2646 (अ).––यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया–फोरबेसगंज–झंझारपुर–दरभंगा–मुजफ्फरपुर सेक्षन) के 0.000 कि.मी. से 310.000 कि.मी. (नया चैनेज 0.000 कि.मी. से 287.860 कि.मी.) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा संषोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संषोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 454 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012, जिसे तारीख 26.03.2014 को शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ) के क्रम सं0 20 द्वारा संषोधित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, बिहार राज्य में रारा–57 के 148.550 कि.मी. से 208.650 कि.मी., नया चैनेज (डिजाइन चैनेज 145.646 कि. मी. से 230.000 कि.मी. तक) फूलपराष से फोरबेसगंज सेक्षन तक को चार लेन का बनाए जाने की परियोजना के अधीन, एतद्द्वारा सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 57.50 कि.मी. {जिसमें 54.982 कि.मी सड़क तथा 2.518 कि.मी. संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से

अधिक है) तथा जिसकी समकक्ष लम्बाई 25.18 कि.मी. है, शामिल है} हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" कहा गया है) पर तथा 2.6 कि.मी. लम्बाई (184.260 कि.मी. से 186.860 कि.मी. तक) वाले बाइपास हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्–

सारणी–1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए सड़क खण्ड की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः–

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
सम्पूर्ण खण्ड के पूरा होने से पहले		
रारा–57 का (सुपौल जिले में असानपुर गांव के पास) 150.390 कि.मी. (नया चैनेज 147.486 कि.मी.)	49.677 (संरचनाओं की लम्बाई 2.35 कि.मी. तथा बाइपास की लम्बाई 2.60 को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
सम्पूर्ण खण्ड के पूरा हो जाने के पश्चात्		
रारा–57 का (सुपौल जिले में असानपुर गांव के पास) 150.390 कि.मी. (नया चैनेज 147.486 कि.मी.)	54.982 (संरचनाओं की लम्बाई 2.518 कि.मी. तथा बाइपास की लम्बाई 2.60 कि.मी. को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) **उपर्युक्त के अतिरिक्त**, एक बाइपास (प्रतापगंज बाइपास) के लिए, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए या अधिक है, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु**,** आधार दर के 1.5 गुना के हिसाब से, निम्नलिखित अनुसार भी शुल्क शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी में.) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–57 का (सुपौल जिले में असानपुर गांव के पास) 150.390 कि.मी. (नया चैनेज 147.486 कि.मी.)	रारा–57 पर प्रतापगंज बाइपास, लम्बाई 2.6 कि.मी.(184.260 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 202.756 कि.मी.) से 186.860 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 208.305 कि.मी.)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

IndiaCode

(3) **उपर्युक्त के अतिरिक्त,** निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
सम्पूर्ण खण्ड के पूरा होने से पहले			
रारा–57 का (सुपौल जिले में असानपुर गांव के पास) 150.390 कि.मी. (नया चैनेज 147.486 कि.मी.)	2.35	23.5	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
सम्पूर्ण खण्ड के पूरा हो जाने के पश्चात्			
रारा–57 का (सुपौल जिले में असानपुर गांव के पास) 150.390 कि.मी. (नया चैनेज 147.486 कि.मी.)	2.518	25.18	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

क्रम सं0	*संरचना, जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है		
	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई (मीटर)
	से	तक	
1	151.763	153.638	1875
2	180.536	180.686	150
3	189.143	189.243	100
4	192.133	192.233	100
5	197.351	197.476	125
6	190.906	190.993	87
7	202.432	202.513	81
	योग		**25.18**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

IndiaCode

6 जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना उस खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और उसे अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 999.00 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा। 31.03.2014 तक उगाहे गए उपयोक्ताषुल्क से कुल 15.72 करोड़ रुपए की राषि वसूल की गई है।

[भाराराप्रा/13013/672/ सीओ /11.12/जीसी–दरभंगा (148.550–159.185)]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

S.O. 2646 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 465 (E) dated 26th April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 to Km. 310.000 (new chainage from Km. 0.000 to Km. 287.860) of (Purnea – Forbesganj- Jhanjharpur – Darbhanga – Muzaffarpur Section) of National Highway No. 57 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013 and G.S.R 26(E) dated 16th January,2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended

from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 454(E), dated the 16th March, 2012 as amended vide Sl. No. 20 of fee notification bearing S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 57.50 km {including 54.982 km road and 2.518 Km. of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 25.18 Km. } (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and 1.5 times the base rate for a bypass having a length of 2.6 Km. (from Km. 184.260 to Km. 186.860) under the project of Four Laning of Phulparash to Forbesganj section from Km 148.550 to Km 208.650, new chainage (Design Chainage, Km. 145.646 to Km. 230.000) of NH-57 in the State of Bihar and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Type of vehicle	**Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length (in Km.) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
Before completion of whole stretch		
Km 150.390 {(new chainage Km. 147.486) near Asanpur village in Supaul district} of NH-57	49.677 (Excluding 2.35 Km. length of structures and bypass length of 2.60 Km.)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above
After completion of whole stretch		
Km 150.390 {(new chainage Km. 147.486) near Asanpur village in Supaul district} of NH-57	54.982 (Excluding 2.518 Km. length of structures bypass length of 2.60 Km.)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

2. **In addition to above,** the fee shall also be due and payable for one number of bypass Pratapganj bypass) costing Rs. 10 Crore or more at the following toll plaza at 1.5 times of base rate for the length of bypass specified for such toll plaza as under:

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length of bypasses (in Km.) for which additional fee is payable	Rate of which fee is payable
Km. 150.390 {(new chainage Km. 147.486) near Asanpur village in Supaul district} of NH-57	Pratapganj bypass, length 2.6 Km. (from Km. 184.260 (Existing chainage Km. 202.756) to Km. 186.860 (Existing chainage Km. 208.305) on NH-57)	150% of the base rates mentioned in Table 1 above

3. **In addition to above,** the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

IndiaCode

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Before completion of whole stretch			
Km. 150.390 {(new chainage Km. 147.486) near Asanpur village in Supaul district} of NH-57	2.35	23.5	100% of the base rates mentioned in Table 1 above
After completion of whole stretch			
Km. 150.390 {(new chainage Km. 147.486) near Asanpur village in Supaul district} of NH-57	2.518	25.18	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

S. No.	* Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (m)
	From	To	
1.	151.763	153.638	1875
2.	180.536	180.686	150
3.	189.143	189.243	100
4.	192.133	192.233	100
5.	197.351	197.476	125
6.	190.906	190.993	87
7.	202.432	202.513	81
	Total		2518

IndiaCode

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometre from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 999.00 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 15.72 Crore has been recovered from the user fee realized till 31.03.2014

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

[F. No. NHAI/13013/672/CO/11-12/GC- Darbhanga (148.550-159.185)]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.